भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1157

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया जाना है।

***

वर्षा जल संचयन हेतु योजना

1157. श्री अरुण साव:

श्री नारणभाई काछड़िया:

श्री विजय बघेल:

श्री देवजी पटेल:

श्री दिलीप शइकीया:

श्री सुनील कुमार सिंह:

श्री मोहन मंडावी:

श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:

श्री सुनील कुमार सोनी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में भू-जल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन हेतु कोई योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर गुजरात, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर पूर्वी राज्यों में किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उपर्युक्त राज्यों में भू-जल पुनर्भरण और जल भराव रोकने के लिए पुनर्भरण तालाबों के निर्माण हेतु कोई पहल की है;

(ङ) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन के लिए अन्य कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ङ): जल राज्य का विषय है तथा केंद्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। संबंधित राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश वर्षा जल संचयन के तरीकों को कार्यान्वित करते हैं तथा जलवायु परिस्थितियों, मृदा-स्तर, हाइड्रोजियोलॉजिकल भूभाग और अन्य स्थानीय कारकों के आधार पर क्षेत्र-दर-क्षेत्र अलग-अलग पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण करते हैं।

भारत सरकार वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण में मदद के लिए गुजरात, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देश में योजनाएं और कार्यक्रम/नीतियां लागू कर रही है। इस संबंध में प्रमुख पहलों में "जल शक्ति अभियान - कैच द रेन" (जेएसए:सीटीआर) अभियान; अटल भूजल योजना (अटल जल); महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा); प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई); अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत); एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल); मॉडल बिल्डिंग उपनियम (एमबीबीएल), 2016; शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 आदि शामिल हैं।

भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के तहत, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) प्रदर्शनात्मक उद्देश्य के लिए देश में कई सफल कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल रहा है, जो राज्य सरकारों को उपयुक्त हाइड्रोजियोलॉजिकल स्थितियों में इसे दोहराने में सक्षम बनाता है। सीजीडब्ल्यूबी देश में प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं के रूप में कई सफल कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल रहा है, जिसमें भूजल को रिचार्ज करने और जल जमाव को रोकने के लिए पुनर्भरण गड्ढे भी शामिल हैं। पुनर्भरण गड्ढे के निर्माण के संबंध में जिलेवार जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(च): वर्षा जल संचयन के अन्य कदमों में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सलाह/निर्देश; राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का आयोजन; बैठक/सम्मेलनों का आयोजन; जिलाधिकारियों/जिला कलेक्टरों के साथ जल वार्ता और वेबिनार का आयोजन: गैर सरकारी संगठनों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों, सामुदायिक भागीदारी आदि की सहभागिता शामिल हैं।

****